

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरु

पीठासीन अधिकारी :- अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :- 57/23

गणेशाराम पुत्र दूलाराम जाति जाट निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु
बनाम
वादी

1. मोहनी पत्नि अनाराम जाति जाट निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु
2. तोलाराम पुत्र अनाराम जाति जाट निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु
3. भगवानाराम पुत्र अनाराम जाति जाट निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु
4. हडमानाराम पुत्र अनाराम जाति जाट निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु
5. जेठी पुत्री अनाराम जाति जाट निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु
6. नराणी पुत्री अनाराम जाति जाट निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु
7. सोहनीदेवी पत्नि उमाराम जाति जाट निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु
8. सुखदेव पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु
9. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा ईयारा तहसील बीदासर जिला चूरु
10. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा सुजानगढ जिला चूरु
11. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरु

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।


उपस्थित :-

मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी

:- निर्णय :-

दिनांक:- 5-12-2024


वाद पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ के संयुक्त खातेदारी कब्जा काशत उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 134 एक सौ चौतीस तादादी 7.2211 सात दशमलव दौ दौ एक एक हेक्टेयर, खसरा संख्या 548 पांच सौ अडतालीस तादादी 0.0253 जीरो दशमलव जीरो दौ पांच तीन हेक्टेयर, खसरा संख्या 549 पांच सौ उनचास तादादी 0.4552 जीरो दशमलव चार पांच पांच दौ हेक्टेयर, खसरा संख्या 98 अठानवे तादादी 1.6441 एक दशमलव छः चार चार एक हेक्टेयर कुल किता 4 चार कुल रकबा 9.3457 नौ दशमलव तीन चार पांच सात हेक्टेयर वाके रोही ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है जिसमें वादी का 20/739 बीस बट्टा सात सौ उनचालीस हिस्सा है। जो वर्तमान गौका कब्जा काशत अनुसार खसरा संख्या 549 पांच सौ उनचास तादादी 0.4552 जीरो दशमलव चार पांच पांच दौ हेक्टेयर में पूर्वी साईड



उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरु)

में हिस्सा पांति में आई हुई है। वादगत भूमि का मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ अपने-अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ का खान-पान, रहन-सहन अलग-अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 5.3.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेतों का विधिवत विभाजन करवाकर अपने-अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक-पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ साफ इनकार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेंगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रुकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ की ऐलानीयां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 11 ग्यारह के रूप में पक्षकार




उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (बूक)

संयोजित किया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम जोगलसर तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि-आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादी द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहता है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :-

अतः वादी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम जोगलसर खसरा संख्या 134, 548, 549, 98 तादादी कमशः 7.2211, 0.0253, 0.4552, 1.6441 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 9.3457 हेक्टेयर वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी का 20/739 हिस्सा है। जो वादगत खसरा संख्या 549 तादादी 0.4552 हेक्टेयर में पूर्वी साईड की है। तहसीलदार बीदासर से वादी की 20/739 हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 5/12/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर
चूरु

प्रारम्भिक डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
गणेशाराम बनाम मोहनी आदि

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।


मुकदमा नं:- 57/23

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रु-ब-रु.....हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम जोगलसर खसरा संख्या 134, 548, 549, 98 तादादी कमश: 7.2211, 0.0253, 0.4552, 1.6441 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 9.3457 हेक्टेयर वादी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी का 20/739 हिस्सा है। जो वादगत खसरा संख्या 549 तादादी 0.4552 हेक्टेयर में पूर्वी साईड की है। तहसीलदार बीदासर से वादी की 20/739 हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

चीज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह.....

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.....को अदा करें।


बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख..... 5-12-2014



दस्तखत
ओहदा उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (रूल)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुताफरिक		
मुताफरिक					
गीजान			गीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।



उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (रूल)